प्रेस विज्ञप्ति

ऐसा ज्ञात हुआ है कि आयुक्त (वैट), अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह द्वारा, दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को जारी अधिसूचना एफ.नं.1-1/डीसी (एसए)/वैट (पीएफ)/2017-18/5974 में निहित निर्देशन के अनुसार कुछ बार मालिक और पीओएल (पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेन्ट) मालिक समय पर अपना मूल्य वर्धित कर (वैट) जमा नहीं कर रहे हैं । यह गैर-अनुपालन वैट नियमों का घोर उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान होता है।

अत: सभी बार मालिकों और पीओएल मालिकों को पुन: निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना का सख्ती से अनुपालन करते हुए निम्नलिखित तिथियों पर मासिक कर का भुगतान एवं त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करें।

क्रम संख्या	**विवरण**	**समय निर्धारित**	**देय तिथि**
1.	कर का भुगतान	मासिक	प्रत्येक आगामी माह का 21वाँ दिन
2.	रिटर्न का प्रस्तुतीकरण	त्रैमासिक	प्रत्येक आगामी तिमाही का 28 वाँ दिन

इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अब से सभी मूल्य वर्धित कर रिटर्न, मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिकारी (मुख्यालय) के कार्यालय, जो आर सी एस कार्यालय, वी आई पी रोड, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, में जमा किए जाएंगे ।

यह निर्देश उचित कर अनुपालन बनाए रखने और सरकारी खजाने की वित्तीय मज़बूती सुनिश्चित करने के हित में जारी किया गया है। आपका सराहनीय सहयोग अपेक्षित है ।

बलबीर सिंह
मूल्य वर्धित कर अधिकारी (मुख्यालय)
आरसीएस कार्यालय,
वीआईपी रोड पोर्ट ब्लेयर

Press Release

It has been observed that some Bar Owners and POL (Petroleum, Oil & Lubricant) Owners are not remitting their Value Added Tax (VAT) on a monthly basis within the due dates as notified vide F.No.1-1/DC (SA)/VAT (PF)/2017-18/5974 dated 31st December, 2020 issued by the Commissioner (VAT), A & N Islands. This non-compliance constitutes a gross violation of VAT Rules and results in a significant loss to the Government exchequer.

Therefore, all Bar Owners and POL Owners are hereby once again directed to strictly comply with the due dates as per the aforementioned notification provided as under:

Sl. No.	Particular	Time Prescribed	Due Date
1.	Payment of Tax	Monthly	21st day of each succeeding month
2.	Submission of Return	Quarterly	28th day of each succeeding Quarter

Further, it is clarified that, henceforth all the Value Added Tax Returns shall be submitted at the Office of the Value Added Tax Officer (HQ) situated at RCS Office, VIP Road, Port Blair.

This directive is issued in the interest of maintaining proper tax compliance and ensuring the financial health of the Government exchequer. Your cooperation is expected and appreciated.

Balbir Singh
Value Added Tax Officer (HQ)
RCS Office, VIP Road
Port Blair